

जनपद बिजनौर प्रेस नोट – थाना नहटौर

दिनांक - 02.07.2025

थाना नहटौर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गये मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही –

दिनांक 02.07.2025 को वादी श्री प्रवीण सिंह पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम सलेमपुर थाना नहटौर जनपद बिजनौर ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त गौतम पुत्र कोमल सिंह निवासी ग्राम काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर रात्रि में करीब 01.00 बजे उनके घर से चार्जिंग पर लगे एक मोबाईल फोन रियल मी ग्रे कलर चोरी कर भागने लगा, जिसे वादी ने गांव वालों की मदद से मौके पर ही पकड लिया । इस सम्बन्ध में थाना नहटौर पर मु०अ०सं० 171/2025 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस बनाम गौतम



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

गौतम पुत्र कोमल सिंह निवासी ग्राम काजीवाला थाना नगीना जनपद बिजनौर

<u>बरामदगी</u> –

मोबाईल फोन रियल मी ग्रे कलर

<u>अभियुक्त गौतम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –</u>

- 01. मु0अ0सं0 314/2017 धारा 380/411भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 02. मु0अ0सं0 879/2017 धारा 379/411भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 03. मु0अ0सं0 107/2018 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 04. मु0अ0सं0 190/2018 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 05. मु0अ0सं0 565/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 06. मु0अ0सं0 04/2024 धारा 379/411भादवि थाना जीआरपी नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 07. मु0अ0सं0 05/2024 धारा 379/411भादवि थाना जीआरपी नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 08. मु0अ0सं0171/2025 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस थाना नहटौर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 02-07-2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 572/25 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर एक्ट मे वांछित 03 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.07.2025 को थाना प्रभारी कोतवाली शहर द्वारा गैंगलीडर गौतम कुमार पुत्र सुभाष निवासी ग्राम चान्दपुर फेरू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व इसके गैंग के 05 सदस्यों के विरूद्ध संगठित गिरोह बनाकर अपने भौतिक व आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से डकैती जैसे जघन्य अपराध करना जिससे समाज मे भय व आतंक का माहौल व्याप्त होना तथा लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न करने के संबंध मे थाना



कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 572/25 धारा 2(ख)(1)/3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत कराया गया। कार्यवाही:-

आज दिनांक 02.07.2025 को थाना हल्दौर/कोतवाली शहर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्तगण 1.गैंगलीडर गौतम कुमार पुत्र सुभाष, 2.वरूण पुत्र ब्रजपाल व 3.अमर सिंह पुत्र विजय सिंह समस्त निवासीगण ग्राम चान्दपुर फेरू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

- 1.गैंगलीडर गौतम कुमार पुत्र सुभाष निवासी ग्राम चान्दपुर फेरू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2.वरूण पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम चान्दपुर फेरू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 3.अमर सिंह पुत्र विजय सिंह समस्त निवासी ग्राम चान्दपुर फेरू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर। अभियुक्त गौतम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

- 1. मु०अ०स० 168/17 धारा ६० आबकारी अधि० थाना को०शहर जनपद बिजनौर।
- 2. मु०अ०स० २३०/२० धारा ३७७/४११/३४ भादवि थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार।
- 3. मु०अ०स० २३२/२० धारा ३७७/४११/३४ भादवि थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार।
- 4. मु०अ०स० २३३/२० धारा ३७७/४११/३४ भादवि व ४१/१०२ सीआरपीसी थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार।
- 5. मु०अ०स० २३५/२० धारा ३७७/४११/३४ भादवि थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार।
- 6. मु0अ0स0 290/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिडकुल जनपद हरिद्वार।

- 7. मु०अ०स० १९४/२२ धारा ३७९/४११ भादवि थाना को०शहर जनपद बिजनौर।
- 8. मु०अ०स० २९०/२२ धारा ३९५/३९७/५०६/४१२/१२०बी भादवि थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार।
- 9. मु०अ०स० 576/22 धारा २/३ गैंगस्टर एक्ट थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार।
- 10. मु०अ०स० ७४९/२४ धारा ३०३(२)/३१७(२) बी०एन०एस० थाना को०शहर जनपद बिजनौर ।
- 11. मु०अ०स० 786/24 धारा 310(2)/317(3) बी०एन०एस० थाना को०शहर जनपद बिजनौर।
- 12. मु०अ०स० ८५८/२४ धारा १०९(१) बी०एन०एस० ३/२५/२७ आयुद्ध अधि० थाना को०शहर जनपद बिजनौर ।
- 13. मु०अ०स० ५७७/२०२५ धारा २(ख)(1)/३(१) थाना कोतवाली नगरजनपद बिजनौर।

अभियुक्त वरूण उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु०अ०स० ७८६/२४ धारा ३१०(२) बी०एन०एस० थाना को०शहर जनपद बिजनौर।
- 2.मु०अ०स० ५७७/२०२५ धारा २(ख)(१)/३(१) थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त अमर सिंह का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु०अ०स० २९०/२२ धारा ३९५/३९७/५०६/४१२/१२०बी भादवि थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार ।
- 2.मु0अ0स0 576/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार।
- 3.मु0अ0स0 786/24 धारा 310(2) बी0एन0एस0 व 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना को0शहर जनपद बिजनौर।
- 4.मु०अ०स० 572/2025 धारा 2(ख)(1)/3(1) थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार बैसला थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
- 2. उ0नि0 श्री प्रवीण कमार थाना को० शहर जनपद बिजनौर।
- 3. का० 1505 कुलदीप थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
- 4. हे0 का0 चालक प्रमोद कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
- 5. हे0 का0 712 सन्दीप थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक - 02.07.2025

थाना चाँदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 382/25 धारा 5(ड)/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 30.06.2025 को वादी ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 29.06.2025 को वादी के 06 वर्षीय भतीजे के साथ अरशद पुत्र तौफीक निवासी मौ0 गड्ढा कॉलोनी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा गलत कार्य किया गया है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 382/25 धारा 5(ड)/6 पॉक्सो अधिनियम बनाम अरशद उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



<u>कार्यवाही –</u>

आज दिनांक 02.07.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अरशद पुत्र मौहम्मद तौफीक निवासी मौ0 गड्ढा कॉलोनी करबा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अरशद पुत्र मौहम्मद तौफीक निवासी मौ0 गड्ढा कॉलोनी कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

- 1.उ0नि0 श्री अजीत कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 671 जैकी थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 810 मोनू कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक - 02,07,2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 564/25 धारा 69 बीएनएस व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.06.2025 को वादिया ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त अदनान पुत्र बब्लू निवासी ग्राम तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 564/25 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही -

आज दिनांक 02.07.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अदनान पुत्र बब्लू निवासी ग्राम तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

अदनान पुत्र बब्लू निवासी ग्राम तिसोतरा थाना नांगल जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1. प्रभारी निरीक्षक श्री उदयप्रताप सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2. उ0नि0 अंकुर पाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3. कां0 112 गौरव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- का० 904 विमल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर